

5. म

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 1328/2017 तहसीलदार बाडमेर बनाम कलाराम

नम्बर व
तारीख प्रहकाम जो
इस हुकम की
तागील में जारी
हुए

21-3-18

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अकित खसरान में ग्राम पोकर भादू की ढाणी में स्थाई रास्ता जो नोख से भाईयोणि की ढाणी तक जा रहा है। इस रास्ते पर सडक बनी हुई है, जो संलग्न नक्शे में बरंग हरा दर्शाई गई है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकॉर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अकित खसरान की भूमि में सडक बनी हुई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा पोकर भादू की ढाणी की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	कलाराम हंगाराम बगताराम दोलाराम नेनाराम गेनाराम पिसरान रामचन्द्र जेतीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट सा देह खातेदार	344/77	11.06	783X20	0.18
2	भगाराम विरघाराम नेनाराम पिसरान सुराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	320/77	19.10	695X20	0.16
3	सिदाराम रामाराम डाउराम धनाराम पिसरान भीखाराम करगुम्बी पत्नी भीखाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	41	226.00	4416X20	5.02



उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

तरीखहुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 1328/2017 तहसीलदार बाडमेर बनाम कलाराम

4	रूपा पुत्र पन्ना दुदाराम अमानाराम बाबूलाल सिमरथाराम पिसरान राणा कंसरी पत्नी राणा आसीदेवी पत्नी चेतनराम जाति भेगवाल सा. देह व नोख	292/41	48.00	304X20	0.07
---	--	--------	-------	--------	------

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

